कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 407 /दो—11—11/2020 नर्मदापुरम, दिनांक 13.04.2026

श्री योगेश कचनेर भृत्य इटारसी जिला नर्मदापुरम का दिनांक 15.04.2026 से 23.04.2026 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश, पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 154 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1604/दो—11—11/2020 नर्मदापुरम, दिनांक 13.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. श्रीमति अनीता खजूरिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं श्री योगेश कचनेर भृत्य इटारसी को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

13.4.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)